

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री. रंजित कुमार**
2. वर्तमान धारित पद **कनिष्ठ हे.ए.ए. ४**
3. वर्तमान वेतन **०१०७२०२०**
- अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१/०७/२०२०**

(1) उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	(2) संपत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन		(3) भूमि	(4) वर्तमान मूल्य	(5) यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	(6) उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	(7) संपत्ति से वार्षिक आय	(8) अभियुक्त
	(2)	(3)						
भोपाल LF-10, म. ज. एडिजिज को.स. परिसर को.स. दुल्हाबाई को.स. 462003	प्लॉट	-	ला. १००० रु. ५५० ०००५	मैरे नाम पर	रु. २०० रु. ५०० रु. १०० रु. १००		₹ १०००	

हस्ताक्षर **शुभ**  
 नाम **श्री. रंजित कुमार**  
 पद **कनिष्ठ हे.ए.ए. ४**  
 विभाग **मि. डी. राज विद्यालय नि.ग.म. छीवाली नगर, को.स.दु. (६.५.)**

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परन्तु यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उनके द्वारा अर्जित भवना उद्योग विरासत में मिली या उनके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या रु. ५००० या १०००० के द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।  
 अससप्रावि-14-2-2001-5,000.  
 शा.सु.भा. **शुभ**  
**शुभ**  
**शुभ**